न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देसूरी(पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री राजेश मेवाडा (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 14/2017

दायर तिथि :– 27.04.2017

निर्णय दिनांक :– 21.02.2018

वादी :–

1. दिलीपकुमार पुत्र स्व. कुन्नालालजी
2. प्रवीणकुमार पुत्र स्व. कुन्नालालजी
   जातिगण– श्रीमाली ब्राह्मण, निवासीगण–देसूरी
   जिला – पाली(राज.)

ब ना म

प्रतिवादीगण :–

1. किर्ती पुत्र स्व. जुगलकिशोरजी
2. कमला पत्नि स्व. जुगलकिशोरजी
3. संगीता पुत्र स्व. जुगलकिशोरजी
4. ममता पुत्री स्व. जुगलकिशोरजी
5. संतोष पुत्री स्व. जुगलकिशोरजी
6. हितेष पुत्र स्व. सोहनलालजी
7. मनीष पुत्र स्व. सोहनलालजी
8. पुष्पा पुत्री स्व. सोहनलालजी
9. भावना पुत्री स्व. सोहनलालजी
10. कलावती पुत्री स्व. कुन्नालालजी
11. कान्ताबाई पुत्री स्व. कुन्नालालजी
    जातिगण – श्रीमाली ब्राहमण, निवासीगण – देसूरी
    तहसील – देसूरी, जिला – पाली
12. तहसीलदार, देसूरी (भूमिधारी राज्य सरकार)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
सपठित धारा – 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. श्री दिव्यप्रकाश त्रिवेदी अधिवक्ता – वादीगण।
2. श्री ललित दवे अधिवक्ता – प्रतिवादीगण।

दिनांक :–21.02.2018

–: निर्णय :–

वादीगण ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88, 89, राजस्थाान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि :–

मौजा ग्राम देसूरी तहसील देसूरी में स्थित कृषि भूमि पुराने ख.न. 152/1 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा किस्म बा.दो. वादीगण एवं प्रातिवादी स. एक लगाए ग्यारह की संयुक्त खातेदारी आधिपत्य की भूमि है, जिसके नवीन बन्दोवस्त में नये ख.न. 742 रकबा 0.37 हे. किस्म बा.दो. कायम हुये है। वादग्रस्त आराजी वादीगण तथा प्रतिवादीगण के पूर्वज कुन्नालाल, जुगलकिशोन, प्रवीण

कुमार, दिलीपकुमार, सोहनलाल बेटा पोता लालचंद कौम श्रीमाली की खातेदारी दर्ज थी। कुन्नालाल स्व. लालचंदजी का पुत्र एवं जुगलकिशोर, प्रवीणकुमार, दिलीपकुमार, सोहनलाल पुत्र कुन्नालाल है, जो खतौनी जमाबन्दी सम्वत 2030–33 में प्रमाणित है। वादीगण के पिता पन्नालाल पुत्र लालचन्द का देहान्त होने के बाद वादग्रस्त भूमि के खातेदारी हक कानूनन उनके वारिसान वादी 1 व 2 तथा स्व. जुगलकिशोर, स्व. सोहनलाल पुत्रगण व प्रतिवादी संख्या 9 भावना पुत्री सोहनलाल तथा प्रतिवादीगण 10,11 को निहित हुये, इस प्रकार वादी संख्या 1, 2 तथा प्रतिवादी एक लगाए पांच, छः लगाए नौ एवं दस तथा ग्यारह प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा निहित रहा है, परन्तु नवीन भू–प्रबंध कार्यवाही के दौरान वादग्रस्त भूमि नये खसरा नम्बर 742 रकबा 0.37 हेक्टर राजस्व रेकर्ड में कुन्नालाल, जुगलकिशोर, प्रवीणकुमार, दिलीपकुमार, सोहनलाल पि. लालचंद गलत रूप से वल्दीयत की गलती करते हुये दर्ज कर दी गई। राजस्व रेकर्ड में शुद्ध इन्द्राज कुन्नालाल पुत्र लालचन्द, जुगलकिशोर, प्रवीणकुमार, दिलीपकुमार, सोहनलाल पि. कुन्नालाल दर्ज करना चाहिए था। अतः वादग्रस्त भूमि वादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या एक लगाए पांच का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 लगाए 9 का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 10 का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 11 का 1/6 हिस्सा खातेदारी घोषित किये जाने का निवेदन किया।

वाद संस्थापित किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 व 6 से 11 की ओर से वाद पत्र के तथ्यों को स्वीकार कर इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। वादी की ओर से बतौर अभिलेखीय साक्ष्य मिलान क्षेत्रफल खसरा नम्बर 742 प्रदर्श–1, नकल खतौनी भू–प्रबंध विभाग प्रदर्श–2, जमाबन्दी सम्वत 2030–33 प्रदर्श–3, जमाबन्दी 2069–72 प्रदर्श–4, मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति मृत सोहनलाल पुत्र कुन्नलाल प्रदर्श–5ए प्रस्तुत किये तथा संरपंच ग्राम पंचायत देसूरी द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 19.02.2018 प्रस्तुत किये इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण ने प्रस्तुत जवाब दावा के साथ अपने शपथ पत्र प्रस्तुत किये तथा वादी दिलीप कुमार ने बतौर साक्ष्य अपना शपथ पत्र पी.डब्ल्यु 1 तथा प्रतिवादी संख्या 2 प्रवीण कुमार ने अपना शपथ पत्र पी.डब्ल्यू 3 एवं स्वतंत्र गवाह श्रवण दवे का शपथ पत्र पी. डब्ल्यू 2 पेश किया गया।

विद्ववान वकुलाय वादीगण एवं प्रतिवादीगण को सुना गया। पत्रावली एवं उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया प्रदर्श–3 जमाबन्दी खतौनी सम्वत 2030–33 के अवलोकन से मौजा देसूरी के गत खसरा नम्बर 152/1 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि कुन्नालाल, जुगलकिशोर, प्रवीणकुमार, दिलीपकुमार, सोहनलाल बेटा पोता लालचन्द कौम श्रीमाली ब्राहमण खातेदारी दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–1 के अवलोकन से नवीन खसरा नम्बर 742 रकबा 0.37 हेक्टर गत खसरा संख्या 152/1 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा से कायम होना भी स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। नवीन भू–प्रबंध से प्राप्त रेकर्ड मिसल बन्दोवस्त सम्वत 2041–60 प्रदर्श – 2 में वादग्रस्त भूमि नवीन खसरा संख्या 742 कुन्नालाल, जुगलकिशोर, प्रवीणकुमार, दिलीपकुमार, सोहनलाल पि. लालचन्द कौम ब्राहमण खातदेार दर्ज है व इसी अनुसार इन्द्राज वर्तमान जमाबन्दी खतौनी प्रदर्श–4 में दर्ज है। स्व. कुन्नालाल के पुत्र सोहनलाल व जुगलकिशोर का देहान्त हो चुका है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पी.डब्ल्यू 1, पी. डब्ल्यू 2, पी.डब्ल्यू 3 ने भी अपने शपथ पत्रों व बयानों में वादपत्र के तथयों की पुष्टि की है। प्रतिवादीगण एक लगाए ग्यारह द्वारा भी वादपत्र के तथ्यों को स्वीकार किया गया है। सरपंच ग्राम पंचायत देसूरी द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 19.02.2018 के

संख्या 6 लगाए 9 के मृत पिता सोहनलाल भी स्व. कुन्नालाल के पुत्र है तथा प्रतिवादी संख्या 10 एवं 11 स्व. कुन्नालाल की पुत्रीया है। इस प्रकार वादी 1 व 2, प्रतिवादी 1 लगाए 5, प्रतिवादी 6 लगाए 9 व प्रतिवादी संख्या 10 तथा 11 वादग्रस्त भूमि प्रत्येक अपना– अपना 1/6–1/6 हिस्सा धारण करने के अधिकारी होना पूर्ण रूप से प्रमाणित है। अतः हम वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त भूमि मौजा देसूरी के वर्तमान खसरा नम्बर 742 रकबा 0.37 हेक्टर किस्म बा.दो. वादी संख्या 1 दिलीपकुमार का 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 2 प्रवीण कुमार का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 लगाए 5 स्व. जुगलकिशोर के वारिसान का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 लगाए 9 स्व. सोहनलाल के वारिसान का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10 कलावती का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 11 कान्ताबाई का 1/6 हिस्सा खातेदारी घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि घोषित खातेदारी हिस्सों के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगाए 11 के नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदारी दर्ज की जावें। निर्णय की पालना के लिए निर्णय की प्रति तहसीलदार देसूरी व पटवारी हल्का देसूरी को भिजवाई जावें। डिक्री पर्चा जारी किया जावें। पत्रावली फेसल शुमार होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 21.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

प्रपत्र 5

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी

पीठासीन अधिकारी :– **श्री राजेश मेवाडा आर.ए.एस.**

वादी :–

1. दिलीपकुमार पुत्र स्व. कुन्नालालजी
2. प्रवीणकुमार पुत्र स्व. कुन्नालालजी
   जातिगण– श्रीमाली ब्राहमण, निवासीगण–देसूरी
   जिला – पाली(राज.)

ब ना म

प्रतिवादीगण :–

1. किर्ती पुत्र स्व. जुगलकिशोरजी
2. कमला पत्नि स्व. जुगलकिशोरजी
3. संगीता पुत्र स्व. जुगलकिशोरजी
4. ममता पुत्री स्व. जुगलकिशोरजी
5. संतोष पुत्री स्व. जुगलकिशोरजी
6. हितेष पुत्र स्व. सोहनलालजी
7. मनीष पुत्र स्व. सोहनलालजी
8. पुष्पा पुत्री स्व. सोहनलालजी
9. भावना पुत्री स्व. सोहनलालजी
10. कलावती पुत्री स्व. कुन्नालालजी
11. कान्ताबाई पुत्री स्व. कुन्नालालजी
    जातिगण – श्रीमाली ब्राहमण, निवासीगण – देसूरी
    तहसील – देसूरी, जिला – पाली
12. तहसीलदार, देसूरी (भूमिधारी राज्य सरकार)

दावा बाबत **88, 89, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**
मुकदमा नम्बर :– **14/2017**
निर्णय दिनांक :– **20.02.2018**

वादीगण की ओर से **वादी अधिवक्ता उपस्थित** व प्रतिवादीगण की ओर से **वकील प्रतिवादीगण उपस्थित** में इस वाद में आज तारीख **21.02.2018** को (नाम पीठासीन अधिकारी) **राजेश मेवाडा आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी, देसूरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त भूमि मौजा देसूरी के वर्तमान खसरा नम्बर 742 रकबा 0.37 हेक्टर किस्म बा.दो. वादी संख्या 1 दिलीपकुमार का 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 2 प्रवीण कुमार का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 लगाए 5 स्व. जुगलकिशोर के वारिसान का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 लगाए 9 स्व. सोहनलाल के वारिसान का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10 कलावती का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 11 कान्ताबाई का 1/6 हिस्सा खातेदारी घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि घोषित खातेदारी हिस्सों के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगाए 11 के नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदारी दर्ज की जावें। निर्णय की पालना के लिए निर्णय की प्रति तहसीलदार देसूरी व पटवारी हल्का देसूरी को भिजवाई जावें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **21** माह **फरवरी** सन् **2018** को जारी किया गया।

मोहर